3/3/23

पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 6/4/23 ....को पेश हो।

6/4/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को कोर्ट रूम से तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखकर जारी खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली तकमील कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 90/2021

प्रार्थीगण :–

1. किशनाराम वल्द धनाराम
   जाति विश्नोई निवासी मोखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. घेवरचंद पुत्र जगमालराम
2. धोलाराम पुत्र जगमालराम
3. हरीराम पुत्र खींयाराम
4. गोरखाराम पुत्र भीखाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी
5. चूनाराम पुत्र घघुराम कौम भील निवासी मौखावा
6. मोगा पुत्र काना कौम भील साकिन राणासर खुर्द
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 04.04.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 282/1, 348/4, 348/5 रकबा कमशः 1.6916, 2.9704, 0.1942 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की सरहदें नेखम स्थापित करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौखावा के खेत खसरा नम्बर 282/1, 348/4, 348/5 रकबा क्रमशः 1.6916, 2.9704, 0.1942 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 4/4/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

कमांकः वाद/2023/279

प्रार्थीगण — किशनाराम

दिनांक : 04.04.2023

बनाम

विप्रार्थीगण — चेनाराम

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 90/21

निर्णय दिनांक :– 5/5/23

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मोरवाला के खेत खसरा नम्बर 284/1 रकबा 1.6916 है॰ खसरा नम्बर 348/4 रकबा 2.9704 है॰ खसरा नम्बर 348/5 रकबा 0.1942 है॰ खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

कमांकः वाद/2023/280-284

दिनांक : 04/04/2023

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी गुडामालानी
3. हल्का पटवारी मोरवाला को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी किशनाराम
5. विप्रार्थी चेनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी